

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा०) कवर्धा, जिला-कबीरधाम

ज्ञापन

क्रमांक/3519/रीडर/भू-अर्जन/ अ.वि.अ./2017

कवर्धा, दिनांक- 30/11/2017

प्रति,

- (1) नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री  
राजनांदगांव (छ०ग०)
- (2) संचालक, जनसंपर्क संचालनालय,  
रायपुर, छ०ग०

द्वारा :- कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.

विषय :- धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र/दो स्थानीय समाचार पत्र में कराए जाने  
विषयक।

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि इस न्यायालय के नीचे उल्लेखित प्रकरण में भू-अर्जन, पुनर्वासन तथा पनुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन भारत का राजपत्र/दो स्थानीय समाचार पत्र में कराया जाना है :-

क्र०	प्रकरण क्रमांक व वर्ष	ग्राम का नाम	विषय
1	01अ/82, वर्ष 2016-17	मक्के	मक्के से सेमो पहुंच मार्ग निर्माण
2	02अ/82, वर्ष 2016-17	सेमो	मक्के से सेमो पहुंच मार्ग निर्माण

अतः अनुरोध है कि धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन भारत का राजपत्र में कराया जाकर प्रति इस न्यायालय में भिजवाने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- धारा 19 की अधिसूचना प्रारूप -02

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं  
भू-अर्जन अधिकारी  
कवर्धा

पृ० क्रमांक/3520/रीडर/भू-अर्जन/ अ.वि.अ./2017

कवर्धा, दिनांक- 30/11/2017

प्रतिलिपि :-

- (1) माननीय कलेक्टर महोदय, जिला-कबीरधाम को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
- (2) जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) कवर्धा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन जिले के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं  
भू-अर्जन अधिकारी  
कवर्धा

अ.पा.बु.क.

361

10/11/17

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम एवं पदेन उप सांचेव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक- / /

क्रमांक/ /01 अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, (जिसे एत् पश्चात अधिनियम, कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है।

—: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन :-

- |                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| (1) जिला           | - | कबीरधाम          |
| (2) तहसील          | - | कवर्धा           |
| (3) नगर/ग्राम      | - | मक्के, प0ह0न0-11 |
| (4) लगभग क्षेत्रफल | - | 2.197 हेक्टे.    |

खसरा नंबर	रकबा	खसरा नंबर	रकबा	खसरा नंबर	रकबा
32/3	0.045 हे.	19	0.073 हे.(सेवा भूमि)	31/4	0.028 हे.
74/2	0.008 हे.	20/2	0.069 हे.	31/1	0.021 हे.
30/2	0.077 हे.	17	0.069 हे.	79	0.036 हे.
29/2	0.041 हे.	15/7	0.036 हे.	74/1	0.012 हे.
30/1	0.109 हे.	15/6	0.036 हे.	85/2	0.036 हे.
23/2	0.097 हे.	16/2	0.032 हे.	98	0.930 हे.(घास)
23/1	0.045 हे.	16/1	0.057 हे.	231/1, 231/2	0.202 हे.(घास)
23/5	0.085 हे.	32/2	0.053 हे.		
योग	-	कुल ख0न0 -13,	कुल रकबा - 2.197 हे.		

- (2) भूमि का नक्शा(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा के कार्यालय में जा सकता है।
- (3) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(नीरज कुमार बन्नसोड)

कलेक्टर एवं पदेन उपसांचेव,

छत्तीसगढ़ शासन,

राजस्व एवं आपदा विभाग जिला-कबीरधाम

अ.पा.बु.क.

362

10/11/17

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक- / / 2

क्रमांक/ /02 अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, (जिसे एत पश्चात अधिनियम, 2 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है।

अनुसूची :-

भूमि का वर्णन :-

- |                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| (1) जिला           | - | कबीरधाम         |
| (2) तहसील          | - | कवर्धा          |
| (3) नगर/ग्राम      | - | सेमो, प0ह0न0-05 |
| (4) लगभग क्षेत्रफल | - | 1.161 हेक्टे.   |

खसरा नंबर	रकबा	खसरा नंबर	रकबा
135/1	0.137 हे. (घास)	146	0.041 हे.
136	0.024 हे. (घास)	147	0.065 हे.
142	0.081 हे. (सेवा भूमि)	148/4, 149/4	0.012 हे.
157	0.178 हे. (सेवा भूमि)	158/2	0.194 हे.
143, 144/2	0.069 हे.	155/3	0.012 हे.
144/1	0.024 हे. (घास)	173	0.275 हे. (घास)
145	0.049 हे.		
योग	कुल ख0न0 -13,	कुल रकबा	- 1.161 हे.

- (2) भूमि का नक्शा(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा के कार्यालय में किए जा सकता है।
- (3) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(नीरज कुमार ब्रन्सोड)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा विभाग जिला-कबीरधाम